



चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा
उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग-2018

National Eligibility cum Entrance Test (NEET) UP Counseling -2018

विवरण पुस्तिका (Brochure)

उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय/निजी क्षेत्र के
एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम
(M.B.B.S. & B.D.S. Courses)

Government/Private Medical & Dental Institutions

Disclaimer: The Government of Uttar Pradesh & National Informatics Center (NIC) will be conducting the online registration procedure as per the information filled by the candidates. The Government of Uttar Pradesh & NIC will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

Candidates are required to assess their eligibility themselves before applying. The eligibility will be checked from original documents at the time of document verification in State Medical Colleges/Universities as detailed in brochure/website
<https://upneet.gov.in> & www.updgme.in

Any imposter/incorrect information found during admission process or thereafter during academic sessions will make the candidate lose his/her candidature and would be subjected to legal action.

For any communication related to UPNEET UG 2018 Please email on given mail id below
neetcounselingup@gmail.com

INDEX

Sl. No.	Subject	Page No.
1	Important Dates	3
2	Eligibility	4-7
3	Document Verification	7-8
4	Nodal Centers for Admission	8-9
5	Registration & Security Fee	9-10
6	Resignation	10
7	Reservation	10-12
8	Service Bond	12
9	Counseling Process	12-13
10	List of Medical & Dental Colleges	14-15
11	List of Annexure	16-20
12	List of Caste	21-22

Help line Number 07897451786

website for information: <https://upneet.gov.in>, www.updgme.in,

website for Online counseling: <https://upneet.gov.in>

अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances)

शासनादेश संख्या-973/71-4-2018-07/2018 दिनांक 12 जून, 2018 जिसके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु राजकीय एवं निजी क्षेत्र के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) में प्रवेश के लिए नीति-निर्धारित की गयी है। उक्त शासनादेश के बिन्दु-17 "अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में नामित विशेष अधिकारी (Specific Officials) का नाम व पदनाम निम्नानुसार है:-

डा0 मुदित कुमार,

विशेष अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ

मोबाईल नम्बर- 9454019386

कार्यालय दूरभाष नम्बर- 0522-2287653

(कार्यालय समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 05 बजे तक)

नोट- वाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्र इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ, उत्तर प्रदेश होगा।

यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 की काउंसिलिंग की महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय-सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	20 जून, 2018 (अपरान्ह 01 बजे से) से 24 जून 2018
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	25 जून 2018
पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	26 जून 2018 से 30 जून 2018 (प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक)
ऑन लाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	02 जुलाई 2018 (प्रातः 10 बजे से) से 04 जुलाई 2018
ऑन लाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	05 जुलाई 2018
आवंटित अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	06 जुलाई 2018 से 11 जुलाई 2018 तक
प्रवेश लेने की तिथि	07 जुलाई 2018 से 12 जुलाई 2018 तक
द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय-सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	13 जुलाई, 2018 (प्रातः 10 बजे से) से 15 जुलाई 2018
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	16 जुलाई 2018
नये पंजीकृत अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन तथा धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की तिथि	17 जुलाई 2018 से 20 जुलाई 2018 (प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक)
ऑन लाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	24 जुलाई 2018 (प्रातः 10 बजे से) से 25 जुलाई 2018
ऑन लाईन काउंसिलिंग के परिणाम की घोषणा	26/27 जुलाई 2018
आवंटित अभ्यर्थियों के आवंटन पत्र डाउनलोड करने की तिथि	27 जुलाई 2018 से 02 अगस्त 2018 तक
प्रवेश लेने की तिथि	27 जुलाई 2018 से 03 अगस्त 2018 तक
मॉपअप राउण्ड की समय-सारिणी	
ऑन लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने की तिथि	30 जुलाई, 2018 (पूर्वान्ह 11 बजे से) से 01 अगस्त 2018
मेरिट सूची जारी करने की तिथि	02 अगस्त 2018
राजकीय मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	04 अगस्त 2018 (प्रातः 10 बजे से)
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु काउंसिलिंग तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	05 व 06 अगस्त 2018 (प्रातः 10 बजे से)
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम मॉपअप राउण्ड तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	07 व 08 अगस्त, 2018 (प्रातः 10 बजे से)
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय मॉपअप राउण्ड तथा प्रवेश की तिथि (On Spot)	28 अगस्त से 30 अगस्त 2018 (प्रातः 10 बजे से)
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की रिक्त सीटों के सापेक्ष 1:10 के अनुपात में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि	13 अगस्त, 2018
निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को उपलब्ध करायी गयी 1:10 की सूची के अभ्यर्थियों की प्रवेश की अन्तिम तिथि	18 अगस्त 2018
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की रिक्त सीटों के सापेक्ष 1:10 के अनुपात में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि	12 सितम्बर, 2018
निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों को उपलब्ध करायी गयी 1:10 की सूची के अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि	15 सितम्बर, 2018
सत्र प्रारम्भ होने की तिथि	1 अगस्त 2018
दिव्यांगजन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की तिथि	19 व 20 जून 2018

अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.updgme.in का समय-समय पर अवश्य अवलोकन करें।

अर्हतायें (Eligibility)

प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल/विश्वविद्यालय/संस्थानों/अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्हताएं:-

- ऐसे छात्र जिन्होंने NEET यू0जी0 2018 की परीक्षा में प्रतिभाग करते हुए नीट परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से एन0आई0सी0 की वेबसाईट <https://upneet.gov.in> पर पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाईट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थान/डेंटल कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनो परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को प्रवेश के समय उ0प्र0 सरकार द्वारा नियमानुसार निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "सामान्य निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के साथ ही साथ अन्य सुसंगत अभिलेख जो **संलग्नक-1** पर उल्लिखित है, को अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में से दोनो ही परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हो को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत "मूल निवास प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के साथ ही साथ अन्य सुसंगत अभिलेख जो **संलग्नक-2** पर उल्लिखित है, को अभिलेखों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोट- नीट यू0जी0 2018 में मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शैक्षिक अर्हतायें (Academic Qualification) (NEET UG 2018 के Brochure के अनुसार)

CODE : 01

A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12th Standard in 2018, whose result is awaited, may apply and take up the said test but he/she shall not be eligible for admission to the MBBS or BDS, if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of marks at the time of first round of Counselling.

OR

CODE : 02

The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12 years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and Training after introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. Provided that 2 year of regular and continuous study of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology taking together shall be required at 10+2 level for all the candidates. Candidates who have passed 10+2 from Open Schools or as private candidate shall not be eligible to appear for NEET (UG). Furthermore, study of Biology/Bio-technology as an additional subject at 10+2 level also shall not permissible.

NOTE: where the course content is not as prescribed for 10+2 education structure of the National Committee, the candidates will have to undergo a period of one year pre - professional training before admission to the Medical Colleges.

OR

CODE : 03

The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Bio-technology (which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.

OR

CODE : 04

The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology & English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Pre-professional/Pre-medical examination shall include practical test in these subjects and also English as a compulsory subject.

OR

CODE : 05

The first year of the three years" degree course of a recognised University with Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Bio-technology with English at a level not less than a core course.

OR

CODE : 06

B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc. Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany, Zoology)/Bio-technology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.

OR

CODE : 07

Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology; Which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology including practical tests in each of these subjects and English.

Provided that to be eligible for Competitive Entrance Examination, candidate must have passed any of the qualifying examinations as enumerated above or appearing in the qualifying examination in 2018. Provided also that to be eligible for Competitive Entrance Test, the candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of regulation 4 on Graduate Medical Education Regulations, 1997 as amended in 2018 and in addition must have come in the merit list of NATIONAL ELIGIBILITY ENTRANCE TEST (UG) – 2018 for admission to MBBS/BDS courses.

In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes, the marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% marks instead of 50% marks for General Candidates. In respect of candidates with Bench Mark Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50% for General category candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates.

Provided further that the students educated abroad seeking admission into medical colleges in India must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English up to the 12th standard level with 50% marks and their equivalency determined as per regulations of the Medical Council of India and the concerned University. If a candidate does not fall within the

qualifications prescribed as per Code number 01-07, he/she should furnish complete details to determine eligibility.

Note:

- The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.
- Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to MBBS/BDS Courses.
- The candidates who have studied from the Foreign/International Board may ensure that the qualifying examination passed by them should, in scope and standard, be as explained in CODE: 07.

दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-1813/2018 अंशुल अग्रवाल बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 के Conclusions में उल्लिखित है कि-

75. In view of the aforesaid discussion, our findings and conclusions are as under:-

(a) Proviso to clause 4(2)(a) of the Regulations disqualifying recognized open school Board candidates is struck down and declared unconstitutional. Students/candidates, who have done class 12 from NIOS or recognized open school State Boards, would not be treated as per se disqualified for selection and appearance in NEET examination. Their NEET results, when otherwise eligible, would be declared with other candidates.

(b) Proviso to clause 4 prescribing upper age limit of 25 years in case of general category candidates and 30 years in case of reserved category candidates is legal and valid. To this extent, the writ petitions challenging vires of proviso to clause 4 of the Regulations are dismissed.

(c) In respect of private students, MCI has already issued clarification, which appears to have satisfied grievance of the private candidates. In the light of the said clarification, no arguments have been addressed before us and, therefore, we have not decided or adjudicated on the said issue/aspect.

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि एम०सी०आई० द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

Merit List & Qualifying Criteria (NEET UG 2018 के Brochure के अनुसार)

The Central Board of Secondary Education will prepare an All India Merit List of successful candidates of NEET (UG) – 2018 on the basis of the eligibility criteria provided by the Medical Council of India and Dental Council of India as given in Graduate Medical Education Regulations-1997 issued under Indian Medical Council Act-1956 and BDS Course Regulations, 2007 issued under the Dentists Act, 1948. The eligibility criteria are as follows:

(a) In order to be eligible for admission to MBBS/BDS Courses for a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in National Eligibility Cum Entrance Test to MBBS/BDS Courses held for the said academic year. However, in respect of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile. In respect of the candidates with Bench Marked Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks shall be at 45th percentile for General category candidates and 40th percentile for SC/ST/OBC candidates. The percentile shall be determined on the basis of highest marks secured in the All India common merit list in National Eligibility Cum Entrance Test for admission to MBBS/BDS courses.

(b) Provided when sufficient number of candidates in the respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility Cum Entrance Test held for any academic year for admission to MBBS/BDS Courses, the Central Government in consultation with Medical Council of India and Dental Council of India may at its discretion lower the minimum marks required for admission to MBBS/BDS Courses for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said academic year only.

(c) To be eligible for admission to the MBBS/BDS Courses, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology at the

Qualifying Examination as mentioned in Graduate Medical Education Regulations-1997 as amended in 2018 and BDS Course Regulations, 2007 and in addition must have come in the merit list of National Eligibility Cum Entrance Test for admission to MBBS/BDS Courses. In respect of the candidates belonging to the SC, ST and OBC category, the marks obtained in Physics, Chemistry, Biology/Bio-technology taken in qualifying examination and competitive examination (Physics, Chemistry, Biology) be 40% marks instead of 50%. In respect of the candidates with Bench Marked Disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-Technology taken together be 45% instead of 50% for General category candidates and 40% for SC/ST/OBC candidates. Provided that 2 years of regular and continuous study of Physics, chemistry and Biology/Bio-Technology taken together shall be required at 10+2 level for all the candidates. Candidates who have passed 10+2 from open schools or as a private candidate shall not be eligible to appear for National Eligibility Cum Entrance Test (UG). Furthermore, study of biology/bio-technology as an additional subject at 10+2 level also shall not permissible. Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination, the result of which has not been declared, he may be provisionally permitted to take up the competitive entrance examination and in case of selection for admission to the MBBS/BDS courses, he/she shall not be admitted to that course until he/she fulfils the eligibility criteria as specified above. For details candidates may refer to Graduate Medical Education Regulations, 1997 and BDS Course Regulations, 2007.

Eligibility to Appear in NEET (UG) (NEET UG 2018 के Brochure के अनुसार)

Eligibility for appearing in NEET (UG) is as stipulated in Indian Medical Council Act-1956/Regulations as amended in 2018 and the Dentists Act-1948/Regulations as amended in 2018. Eligibility as per related regulations is as follows:-

- He/she has completed age of 17 years at the time of admission or will complete the age on or before 31st December of the year of his/her admission to the 1st year MBBS/BDS Course.
- The upper age limit for NEET (UG) is 25 years as on the date of examination with relaxation of 5 years for the candidates belonging to SC/ST/OBC category and persons entitled for reservation under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

The Age criteria for appearing in NEET (UG) 2018 is as follows:

For Candidates of Unreserved Category (UR)	born on or between 07.05.1993 and 01.01.2002
For Candidates of SC/ST/OBC/PH Category	born on or between 07.05.1988 and 01.01.2002

अभिलेखों का सत्यापन—

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित नोडल सेन्टर पर कराया जायेगा:—

शैक्षणिक/आरक्षण सम्बन्धी अभिलेख—

- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य/मूल निवास प्रमाण-पत्र
- आरक्षण के दावे से सम्बन्धित प्रमाण पत्र—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)

अभिलेखों के सत्यापन की तिथि एवं नोडल सेन्टर की सूची—

प्रथम चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 26 जून, 2018 से दिनांक 30 जून, 2018 तथा द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग हेतु दिनांक 17 जुलाई 2018 से दिनांक 20 जुलाई 2018 के मध्य अभ्यर्थियों द्वारा चयनित निम्नलिखित नोडल सेन्टरों

में से किसी एक सेण्टर पर स्वयं मूल अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अभिलेखों का सत्यापन कराया जायेगा। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र	मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम (सेण्टर का नाम)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
3	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा
5	एल०एल०आर० मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम०एल०बी० मेडिकल कालेज, झाँसी
7	बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम०एल०एन० मेडिकल कालेज, इलाहाबाद
9	उ०प्र० ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बौदा

यदि किन्हीं कारणोंवश अभिलेखों के सत्यापन हेतु तिथि में परिवर्तन होता है तो उक्त की सूचना तथा अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर किस तिथि को उपस्थित होना है, इसकी सूचना एन०आई०सी० की वेबसाइट <https://upneet.gov.in> तथा विभाग की वेबसाइट www.updgm.in पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वह समय-समय पर उपर्युक्त उल्लिखित वेबसाइटों का अवलोकन करते रहे।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूची

क्र०	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी० आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ 2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ 3. टी०एस० मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ 4. *इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी० आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
2.	डा० राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	5. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी 6. *मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइंसेज, बाराबंकी 7. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	2. सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ 3. बी०बी०डी० कालेज आफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ
3.	जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर	8. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, कानपुर	4. रामा डेन्टल कालेज, कानपुर 5. महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर 6. सरस्वती डेन्टल कालेज, एण्ड रिसर्च, लखनऊ 7. चन्द्रा डेन्टल कालेज, बाराबंकी
4.	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा	9. *के०डी० मेडिकल कालेज, मथुरा 10. एफ०एच० मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद 11. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली 12. रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली 13. श्रीराम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	8. के०डी० डेन्टल कालेज, मथुरा 9. आई०डी०एस० बरेली 10. आई०डी०एस०टी० डेन्टल कालेज, मोदीनगर, गाजियाबाद

5.	एल0एल0आर0 एम0 मेडिकल कालेज मेरठ	14. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	11. सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		15. रामा मेडिकल एण्ड हॉस्पिटल, हापुड़	12. कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
		16. एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ	13. इन्द्रप्रस्थ डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद
		17. *जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	14. तीर्थाकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद
		18. सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड़	15. कोठावाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर, मुरादाबाद
6.	एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज इलाहाबाद	19. तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद	
		20. हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी	
7.	बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर		16. पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर
8	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	21. मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर 22. स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा	17. डेन्टल कालेज, आजमगढ़
			18. आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल मुरादनगर गाजियाबाद
			19. डी0जे0 कालेज आफ डेन्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर गाजियाबाद
			20. श्री बांके बिहारी डेन्टल कालेज, गाजियाबाद
			21. स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज (शारदा यूनिवर्सिटी) ग्रेटर नोएडा
22. आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, ग्रेटर नोएडा			

नोट— जिन निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के नाम के सम्मुख * अंकित है उन मेडिकल कालेजों को भारत सरकार की पब्लिक नोटिस दिनांक 31.05.2018 के द्वारा वर्तमान सत्र 2018-19 में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।

पंजीकरण शुल्क—

- नीट यू0जी0 2018 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/- प्रति अभ्यर्थी (दोनों चक्रों की काउंसिलिंग हेतु) तथा मॉप अप राउण्ड हेतु रू0 1000/- प्रति अभ्यर्थी (मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना होगा।
- पंजीकरण के लिए <https://upneet.gov.in> पर NEET Counseling -2018 के लिंक को क्लिक करें एवं वहाँ दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।
- पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क, नॉन रिफण्डेबल (Non Refundable) है।

धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीट हेतु रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सीट हेतु रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, UP Payable at Lucknow only) के नाम बना हो, को अभिलेखों के सत्यापन के समय नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी राजकीय तथा निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार की सीटों हेतु काउंसिलिंग कराना चाहता है तो उसे मात्र रू0 2,00,000/- का ही डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना होगा।

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश प्राप्त नहीं किया जाएगा अथवा प्रवेश के बाद अपनी सीट से त्यागपत्र दे देते हैं तो उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

➤ यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम काउंसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउंसिलिंगों के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय किसी अन्य काउंसिलिंग से आवंटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग से एक दिन पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्वोरिटी धनराशि पूरी वापस कर दी जायेगी तथा जमा किये गये शुल्क में से 10 प्रतिशत काटकर शुल्क भी वापस कर दिया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में सिक्वोरिटी धनराशि तथा शैक्षणिक शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

➤ यदि अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात त्यागपत्र देकर सीट रिक्त करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क तथा धरोहर धनराशि वापस नहीं किया जायेगा।

धरोहर धनराशि (Security Money) वापस किये जाने के सम्बन्ध में—

नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 के मॉप-अप राउण्ड की समाप्ति के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की कोई भी सीट आवंटित नहीं हुयी है वह अपनी धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उसी नोडल सेन्टर से प्राप्त करेंगे जहाँ पर उनके द्वारा जमा किया गया है।

ऐसे अभ्यर्थी जिनको राजकीय अथवा निजी क्षेत्र की सीट आवंटित हो गयी है उनकी धरोहर धनराशि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त उनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों के सम्बन्ध में—

ऑल इण्डिया की द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटों की काउंसिलिंग में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2016 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुसार ऑल इण्डिया की द्वितीय काउंसिलिंग के पश्चात प्रदेश को समर्पित रिक्त सीटे जिस श्रेणी में वापस प्राप्त होगी उसी श्रेणी में ऑल इण्डिया मेरिट के आधार पर भरी जायेगी। उक्त समर्पित सीटे स्टेट कोटा की सीटों में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के समय सर्वप्रथम आवंटन ऑल इण्डिया कोटा की समर्पित सीटों पर ऑल इण्डिया मेरिट के आधार पर किया जायेगा तत्पश्चात स्टेट कोटे की सीटों पर आवंटन प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। ऑल इण्डिया की समर्पित सीटों पर आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी स्टेट कोटा की सीटों के लिए अर्ह नहीं होंगे।

त्यागपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में—

रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में बिन्दु-4 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं:-

4. After the second round of counselling for All India Quota seats, the students who take admission in All India Quota seats should not be allowed/permitted to vacate the seats. This would ensure that very few seats are reverted to the State Quota and also All India Quota seats are filled by students from the all India merit list only. The students who take admission and secure admission in Deemed Universities pursuant to the second round of counselling conducted by the DGHS shall not be eligible to participate in any other counselling.

शासनादेशों के अनुपालन में प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

आरक्षण (Reservation)

(क) नीट यू0जी0 2018 के माध्यम से भरी जाने वाली प्रत्येक राजकीय मेडिकल/डेण्टल पाठ्यक्रम में उपलब्ध कुल सीटों पर निम्नवत् 'उर्ध्ववाधर आरक्षण' (Vertical Reservation) प्रदान किया जायेगा :

- | | |
|--|------------|
| 1. अनुसूचित-जाति (S.C.) के अभ्यर्थी | 21 प्रतिशत |
| 2. अनुसूचित-जनजाति (S.T.) के अभ्यर्थी | 02 प्रतिशत |
| 3. अन्य-पिछड़ा-वर्ग (O.B.C.) के अभ्यर्थी | 27 प्रतिशत |

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर शासन के अद्यावधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2018 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए।

क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन.सी.सी. कैडेट	01 प्रतिशत

नोट-

एम0सी0आई0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किया जाना है। वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें नीट की मेरिट सूची के आधार पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। इस उद्देश्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गयी विनिर्दिष्ट विकलांगता परिशिष्ट-ज में संलग्न है। यदि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा। **दिव्यांगजन को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्नक-3 पर टंकित है।**

(ख) उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों कमशः राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर में "वर्टिकल" आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत किया गया है:-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटें	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटें	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
योग		85	15	100

स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी और शासनादेश संख्या-22सी0एम0(1)/26-3-13 दिनांक 10.06.2013 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के रूप में कोई आरक्षण अनुमन्य नहीं है, अपितु विमुक्त जाति का अभ्यर्थी जिस श्रेणी के अन्तर्गत होगा उसे उसी श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा।

(ग) आरक्षित श्रेणी की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:-

- काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उप श्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2/2015 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथासंशोधित में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

- स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0जी0 2018 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2017 को पारित आदेश/निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के क्रम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2018 की काउंसिलिंग हेतु इस ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2018 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।
- दिव्यांगजन को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 19 व 20 जून 2018 को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज, लखनऊ में गठित मेडिकल बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इस आशय की सूचना विभाग की वेबसाईट www.updgm.in पर प्रदर्शित हो रही है तथा प्रदेश के अधिकांश दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 16.06.2018 को विज्ञापन प्रदर्शित हो चुका है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में आरक्षण-

निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेजों/डेंटल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में-

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में राजकीय मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा, जो निम्नानुसार है:-

क्र0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम	02 वर्ष	रु0 10.00 लाख	महानगरो को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।

उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट www.updgm.in पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का स्वयं अवलोकन करे। **बाण्ड का प्रारूप संलग्नक-4 पर टंकित है।**

काउंसिलिंग प्रक्रिया:-

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने अथवा प्रवेश के पश्चात त्यागपत्र देने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रथम

चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रथम काउंसिलिंग से प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

मॉपअप राउण्ड—

- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0-2018 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/- पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्वोरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हें सिक्वोरिटी धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- नीट यू0पी0 यू0जी0 2018 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप-अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना <https://upneet.gov.in & www.updgm.in> पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप-अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/- तथा निजी क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 2,00,000/- की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्वोरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नहीं जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही नोडल सेण्टर पर सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 देय लखनऊ (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों के शिक्षण शुल्क की सूची <https://upneet.gov.in & www.updgm.in> पर प्रदर्शित हो रही है।
- यदि मॉप-अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा और उक्त की सूची मेरिट के आधार पर सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट यू0जी0 2018 की पूर्व काउंसिलिंग के माध्यम से बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। बी0डी0एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा मॉप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।
- मॉप-अप राउण्ड में कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा।

कालेजों की सूची/पाठ्यक्रम एवं सीट संख्या

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज—

क्र०सं०	राजकीय मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	सीटों की संख्या
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ	210
2.	जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर	159
3.	एस.एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा	124
4.	एम.एल.एन. मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	124
5.	एल.एल.आर.एम.मेडिकल कॉलेज, मेरठ	124
6.	एम.एल.बी. मेडिकल कॉलेज, झांसी	82
7.	बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	82
8.	उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	128
9.	राजकीय ऐलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, अम्बेडकर नगर (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
10.	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
11.	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
12.	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	85
13.	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत)	85
14.	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	85
15.	डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	127
	योग	1670

राजकीय क्षेत्र का डेंटल कालेज—

क्र०सं०	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ, (दंत विज्ञान संकाय)	51
	योग	51

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज—

क्र.सं	कालेज का नाम	सीटों की कुल संख्या
1	श्रीराममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बरेली	100
2	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	150
3	रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली	150
4	रामा मेडिकल कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कानपुर	100
5	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड	100
6	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी	100
7	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	150
8	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड	150
9	राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली	150
10	हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी	150
11	हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सीतापुर	150
12	टी०एस० मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	150
13	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
14	एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	150
15	तीर्थाकर महावीर मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	150
16	एम०एस०वाई० मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, मेरठ	150
17	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	100
	योग—	2250

निजी क्षेत्र के ऐसे मेडिकल कालेज जिनको भारत सरकार द्वारा वर्तमान सत्र 2018-19 में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है, की सूची

क्र	मेडिकल कालेज का नाम
1	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी
2	के0 डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा
3	जी0 एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़
4	इंटीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक संस्थान)
5	एफ0एच0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल फिरोजाबाद

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न कालेजों को शैक्षणिक सत्र 2017-18 एवं 2018-19 हेतु डिबार किया गया है

क्र	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों का नाम
1.	जी0सी0आर0जी0 इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
2.	ग्लोकल मेडिकल कालेज एण्ड सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, सहारनपुर
3.	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ
4.	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव
5.	श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा
6.	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा
7.	मेजर एस0डी0 सिंह मेडिकल कालेज, फर्रुखाबाद
8.	वरुणार्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर

निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेज—

क्र	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1.	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	100
2.	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	100
3.	सुभारती डेण्टल कालेज, मेरठ	100
4.	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	100
5.	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद	100
6.	बी0बी0डी0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	100
7.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल स्टडीज एण्ड टेक्नोलॉजी, मोदीनगर, गाजियाबाद	100
8.	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज, मुरादनगर, गाजियाबाद	100
9.	के0 डी0 डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा	100
10.	इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, बरेली	100
11.	चन्द्रा डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, बाराबंकी	100
12.	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, गाजियाबाद	100
13.	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	100
14.	महाराणा प्रताप डेण्टल साइंसेज, कानपुर	100
15.	पूर्वांचल इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर	100
16.	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, गाजियाबाद	100
17.	आई0टी0एस0 कालेज, हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा	100
18.	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	100
19.	स्कूल आफ डेण्टल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	100
20.	डी0जे0 कालेज आफ डेण्टल साइंसेज एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद (अल्पसंख्यक)	100
21.	कैरियर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ (अल्पसंख्यक)	100
22.	तीर्थाकर इंस्टीट्यूट आफ डेण्टल साइंसेज, मुरादाबाद (अल्पसंख्यक)	100
	कुल योग—	2200

टिप्पणी : काउंसिलिंग के समय सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

संलग्नक—1

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में कोई एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:—

1— केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2— निजी व्यवसाय होने की दशा में तीन वर्ष पूर्व जमा किए गए Income Tax Return का विवरण अथवा अभ्यर्थी/पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी/पासपोर्ट/रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेन्ट।

अथवा

3— कृषि आधारित व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व कय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

अथवा

4—उत्तर प्रदेश में सेवारत (सेवायोजक का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) भारत सरकार के सिविल अथवा सैन्य सेवा के कर्मचारियों अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारत हैबी इलेक्ट्रीकल्स, इण्डियन ड्रग एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, जैसे निजी अथवा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के पोष्य (वार्ड) के लिए शर्त यह है कि ऐसा अभ्यर्थी उपयुक्त मूल्य के स्टैम्प पेपर पर उक्त आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा। इस शपथ-पत्र में इस आशय की भी शपथ होनी चाहिए कि अखिल भारतीय स्तर पर किये गये चयन से प्रवेश देने वाले मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं है।

अथवा

5—विदेश में प्रवास करने वाला भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

संलग्नक-2

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा दोनों उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य से उत्तीर्ण की है, को अभिलेखों के सत्यापन/प्रवेश के समय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

1- केन्द्रीय/राजकीय सेवा/सार्वजनिक उपक्रमों (Public Service Undertaking) में सेवायोजित होने की दशा में सेवायोजक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें अभ्यर्थी के पिता/माता के उ0प्र0 राज्य के स्थायी पते का उल्लेख हो।

अथवा

2- कृषि आधारित/व्यवसाय की दशा में पिता/माता के नाम से तीन वर्ष पूर्व क्रय किए गए भवन/भूमि से सम्बन्धित अभिलेख यथा रजिस्ट्री/खसरा/खतौनी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य ही होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

संलग्नक-3

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPPH)

संख्या

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....नीट यू0जी0
2018 अनुक्रमांक* पुत्र/पुत्री श्री..... नीट यू0जी0
2018 के माध्यम से प्रवेश हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विकलांग श्रेणी में आते/आती हैं।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि एम.सी.आई. की संशोधित अधिसूचना दिनांक 22/23 जनवरी,
2018 के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी..... की विनिर्दिष्ट विकलांगता (विकलांगता
का नाम).....की विकलांगताप्रतिशत के मध्य है
तथा अन्य किसी भी अंग में अपंगता नहीं है तथा वह चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हैं**।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर.....

अध्यक्ष

एवं फोटोग्राफ***

विशेष मेडिकल बोर्ड के हस्ताक्षर एवं सील

प्रति हस्ताक्षरित

मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर एवं सील

* कृपया प्रवेश पत्र से अनुक्रमांक व फोटो का मिलान करके ही प्रमाण-पत्र जारी करें।

**यदि बोर्ड की राय में विकलांगता इस सीमा तक हो कि अभ्यर्थी चिकित्सा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है तब ऐसे अभ्यर्थी को विकलांगता प्रमाण-जारी न किया जाये।

***अभ्यर्थी इस प्रमाण पत्र पर वही फोटोग्राफ लगाएं जो वे नीट पी0जी0-2018 के आवेदन पत्र पर लगाएंगे अन्यथा आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

प्रतिलिपि- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार

संलग्नक-4

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO

----- COURSE ----- SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND IS EXECUTED AT ----- ON THIS DAY OF

BETWEEN

NAME -----

S/O, D/O, W/O -----

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS) -----

(TEMPORARY ADDRESS) :-----

MOBILE NO.: -----

E-Mail id.: -----

AADHAR No. :-----

Hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEAREAS FIRST PARTY has applied for admission to ----- course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than two year after successful completion of the -----course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of two year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs. 10 Lacs for Degree to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ----- course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released; AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ----
----- course his/her certificates relating to ----- course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the Government for a period of two year or pay to the Government on demand the sum of Rs.----- (Rupees -----) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period 'of delay: AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY ----- employed as ----- granted stipend to him/her for a period of 24 months effect from ----- in order to enable his/her to study at ----- college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY ----- works for a period of less than 24 months during the ----- Super specialty course DM/MCH/----- Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY ----- shall pay back in addition to the security amount of Rs.....(Rupees-----only) the balance amount of stipend to the Government. This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLWOS: -

1. The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of two year on successful completion of the ----- Super specialty course DM/MCH/Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of two year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs. -----(Rupees -----only) to the Government in the specified Government Treasury.
2. The FIRST PARTY Agrees that till the successful completion of the period of two year service to the Government or till the payment of Rs. ----- (Rupees -----) only is paid the certificates relating to ----- Super specialty course DM/MCH/-- -----Post Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution/University/College and the Government has a First lien over all the certificates gained by the candidates at the time of admission.
3. The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/University/College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/discharged.
4. This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.
5. If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.
6. The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of

FIRST PARTY

()

For and behalf of

Governor

()

Witnesses : -

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ी जातियों की सूची

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशी 3. जाट 4. कुर्मी, चनऊ, कुर्मी-सैतवार, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल 6. गूजर 8. लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी-राजपूत 10. अरख, अर्कवंशीय 11. काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य, कोइरी, सैनी, मुराव, मुराई, मौर्य 13. केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द 15. कुम्हार, प्रजापति 17. कुजड़ा या राईन 19. गद्दी, घोसी 21. छीपी, छीपा 23. झोजा 25. तमोली, बरई, चौरसिया 26. तेली, सामानी, रोगनगर, साहू, सैनियार, गन्धी, अर्राक 28. धीवर 30. नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) 32. फकीर 34. लोहार, लोहार-सैफी, बढई, बढई-सेफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान 35. बारी 37. बियार 39. भुर्जी, भडभूजा, भूंज, कांदू, कशोधन 41. माली 42. स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) हलालखोर 43. लोनिया, नोनिया, गोले ठाकुर लोनिया-चौहान 44. रंगरेज, रंगवा 46. हलवाई, मोदनवाल 47. हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास 48. राय सिक्ख 50. धोबी (जो अनुसूचित जातियों/जनजातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो) 51. केसरा, ठटेरा, ताम्रकार 53. मीरशिकार 55. मेव, मेवाती 57. रोड 59. मोची 61. तंवर सिंघाड़िया 63. माहीगीर 65. धाकड़ 67. तंतवा 69. पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी 71. मनिहार, कचेर, लखेरा 73. मुस्लिम कायस्थ 75. नद्रदाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डरे, कडरेकरण (कर्ण) | <ol style="list-style-type: none"> 2. सोनार, सुनार, स्वर्णकार 5. गिरी 7. गोसाई 9. कम्बोज 12. कहार, कश्यप 14. किसान 16. कसगर 18. गड़ेरिया, पाल, बघेल 20. चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक 22. जोगी 24. डफाली 27. दर्जी, इदरीशी, काकुत्थ 29. नक्काल 31. नायक 33. बंजारा (रंकी) मुकेरी, मुकेरानी 36. बैरागी 38. भर, राजभर 40. भठियारा 45. मारछा 49. सक्का-भिशती, भिशती-अब्बासी 52. नाइबाई 54. शेख सरवारी (पिराई), पीराही 56. कोष्टा/कोष्टी 58. खुमरा, संगतराश, हंसीरी 60. खागी 62. कतुआ 64. दांगी 66. गाडा 68. जोरिया 70. कलाल, कलवार, कलार 72. मोमिन (अंसार) 74. मिरासी |
|--|--|

अनुसूचित जातियों की सूची

- | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 2. बधिक | 3. बादी |
| 4. बहेलिया | 5. बगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 6. बैसवार |
| 7. बजनिया | 8. बाजगी | 9. बलहार |
| 10. बलाई | 11. बाल्मीकि | 12. बंगाली |
| 13. बनमानुश | 14. बांसफोड़ | 15. बरवार |
| 16. बसोड़ | 17. बावरिया | 18. बेलदार |
| 19. बेरिया | 20. भंतू | 21. भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) |
| 22. भुईयार | 23. बोरिया | 24. चमार, झुसिया, धुसिया, जाटव |
| 25. चैरो (सोनभद्र और वाराणसी जिले को छोड़कर) | 26. दबगर | 27. धनगर |
| 28. धानुक | 29. धरकार | 30. धोबी |
| 31. डोम | 32. डोमर | 33. दुसाध |
| 34. घरामी | 35. घसिया | |
| 36. गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | | |
| 37. ग्वाल | 38. हबूड़ा | 39. हरी |
| 40. हेला | 41. कलाबाज | 42. कंजर |
| 43. कपड़िया | 44. करवल | 45. खराहा |
| 46. खरवार (बनबांसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | 47. खटीक | |
| 48. खोरोट | 49. कोल | 50. कोरी |
| 51. कोरवा | 52. लालबेगी | 53. मझवार |
| 54. मजहबी | 55. मुसहर | 56. नट |
| 57. पंखा (सोनभद्र और मिर्जापुर जिले को छोड़कर) | | |
| 58. परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 59. पासी, तरमाली | |
| 60. पटारी (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | 61. रावत | |
| 62. सहारया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | 63. सिनोरिया | 64. सांसिया |
| 65. शिल्पकार | 66. तुरैहा | |

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची

- | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-------------|
| 1. थारू | 2. बुक्सा | 3. भोटिया | 4. राजी | 5. जन्नासरी |
| 6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राज गोंड (महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में) | | | | |
| 8. सहरया (ललितपुर जिले में) | | | | |
| 9. पराहिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 10. बैगा (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 11. पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर जिले में) | | | | |
| 12. अगरिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 13. पटारी (सोनभद्र जिले में) | | | | |
| 14. चैरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जिले में) | | | | |
| 15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में) | | | | |

नोट:- जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से भिन्न किसी अन्य धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपर्युक्त सूची में उल्लिखित है अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06.06.2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25.06.2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश - 2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जाएगा।